रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 447] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 31, 1975/कार्तिक 9, 1897
No. 447] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 1975/KARTIKA 9, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st October 1975

S.O. 632(E)/18AA/IDRA/75.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 688(E)/18AA/IDRA/72 dated the 2nd November, 1972, Messrs Hindustan Steel Limited, a Government Company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and having its registered office at Ranchi in the State of Bihar (hereinafter referred to as the authorised person), was authorised to take over, for a period of three years commencing from the date of the publication of the said Order in the Official Gazette, the management of the Refractory Plant near Ramgarh, in Hazaribagh district in the State of Bihar, owned by Messrs Assam Sillimanite Limited, a Company registered under the said Act, having its registered office at Gauhati and principal office at 25, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the authorised person should continue in the management of the said industrial undertaking for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18AA, read with the proviso to sub-section (2) of section 18A, of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 2nd November, 1976.

[No. F 25/8/72-CUC]
R. V. RAMAN, Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्तिमंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1975

का०आ० 632 (अ) 18 कक/आई०डी०आर०ए०/75—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 688 (ई)/18 कक/आई० डी० आर० ए०/72, तारीख 2 नवम्बर, 1972 द्वारा, मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बिहार राज्य में रांची में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए, मैसर्स आसाम सिलीमेनाइट लिमिटेड के, जो उक्त-अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय गोहाटी में और प्रधान कार्यालय 25, गणेशचन्द्र एवेन्यू कलकत्ता में है, स्वामित्वाधीन, बिहार राज्य के हजारी बाग जिले में रामगढ़ के निकट रिफ्रेक्टरी प्लांट का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि प्राधिकृत व्यक्ति एक वर्ष की और अवधि तक उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध करता रहे ;

अत :, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित, धारा 18 कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश करती है कि ऊपर वर्णित आदेश 2 नवम्बर, 1976 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि तक प्रभावशील बना रहेगा ।

[सं० फा 25/8/72—सी यू ०सी०]

आर० वी० रामन सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975